

स्पीकर देवनानी द्वारा संसदीय संस्कृति में किये गए नवाचारों से लोकतंत्र में आमजन की आस्था बढी : मुख्यमंत्री

संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि विपक्ष हमारी ताकत है और विपक्ष के सुझावों पर विचार किये जाना भी आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा अधिक दिनों तक और नियमों व परम्पराओं से चल रही है। हम सभी का भी एक ही ध्येय होता है कि राजस्थान की जनता का भला किस प्रकार से किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पीकर वासुदेव देवनानी द्वारा विधान सभा में किये गये नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि विगत दो सालों में पुस्तकें लिखकर उन्होंने संसदीय परम्पराओं के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की जो परम्परा रही है वह बहुत ही ऐतिहासिक और संसदीय मूल्यों पर आधारित है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक "संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि" के नवीन संस्करण का विमोचन किया। इस मौके पर स्पीकर देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी मौजूद थे।

लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय संस्कृति को सतत यात्रा का उत्सव है। लोकतांत्रिक संस्थाएँ तब ही सशक्त बनती हैं जब वे परम्पराओं और नवाचारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए जन भागीदारी, पादशिता को केंद्र में रखकर कार्य करती हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा का अमृत महोत्सव पूरे उत्साह

के साथ मनाया जायेगा। विधानसभा में संसदीय व्यवस्था को मजबूती देने और संसदीय संस्कृति को उत्कर्ष बनाने के लिए अनेक नवाचार किये गये हैं। राजस्थान विधानसभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय को 50 हजार से अधिक लोगों ने देख लिया है। यह लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था का परिचायक है।

50 हजार से अधिक लोगों ने देखा विधान सभा का संग्रहालय : देवनानी

देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में सेन्ट्रल हॉल का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 14 करोड़ रुपये की राशि भी बजट में पारित कर दी है। देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के अमृत महोत्सव के लिए भी राज्य सरकार द्वारा बजट में राशि का प्रावधान किये जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।

देवनानी ने कहा कि विधान सभा के नवाचारों में बजट की कोई कमी नहीं रखने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है।

देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में संविधान गैलरी, वन्दे मातरम की 150वीं जयन्ती पर वन्दे मातरम दीर्घा और कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कर नवाचार किये गये हैं। अब आने वाले समय में विधान सभा में कोई भी प्रश्नों के जवाब लिखित नहीं रहेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि जनहित के मुद्दों को हल करने के लिए विधायकों द्वारा लाये गये प्रश्नों के जवाब 100 प्रतिशत मंगवाये जाए।

देवनानी ने कहा कि विधान सभा सदन का आसन महत्वपूर्ण होता है। आसन पर बैठने के बाद वे अनुशासन और नियमों के प्रति कठोर

हो जाते हैं। सदन से किसी सदस्य को अनुशासनहीनता के मामले में जब सदन से बाहर कर दिया जाता है तो उनकी स्थिति उस मां की तरह भी हो जाती है, जिसका बच्चा जब तक भोजन नहीं कर लेता है तब तक वह दुःखी रहती है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधान सभा का शत्रु सनातन रहा है। विधान सभा में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। स्पीकर का संरक्षण ही प्रतिपक्ष को मजबूती प्रदान करता है।

जूली ने कहा कि स्पीकर देवनानी की सेन्ट्रल हॉल निर्माण की सोच सराहनीय है। यहाँ पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य बैठकर चर्चा कर सकेंगे और उन सभी में आपसी समन्वय की भावना भी प्रबल हो सकेगी। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि स्पीकर देवनानी ने दो वर्षों में विधान सभा में अनेक नवाचार किये हैं। विधान सभा संग्रहालय को देखने आने वालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि विधान सभा से आमजन का जुड़ाव बढ़ रहा है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आभार जताते हुए कहा कि स्पीकर देवनानी के सदस्य, विधायक, जनप्रतिनिधि, कुलगुरु, शिक्षाविद सहित गणमान्य लोग मौजूद थे।

दो से ज्यादा बच्चों वाले बन सकेंगे मेयर-पार्षद

कुष्ठ रोग पीड़ित भी लड़ सकेंगे निकाय चुनाव

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता अब पार्षद, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, सभापति बन सकेंगे। विधानसभा में मंगलवार को बहस के बाद राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को पारित कर दिया। सरकार ने एक्ट की धारा 18 (2) में संशोधन किया है। दो बच्चों की बाध्यता साथ ही कुष्ठ रोग पीड़ितों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई गई है। अब इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कानून बन जाएगा। अगले निकाय चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता चुनाव लड़ सकेंगे।

नगरपालिका संशोधन बिल पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर ने कहा कि नगर निकायों में हम "एक राज्य, एक चुनाव" करवाने के लिए स्वतंत्र हैं, एक साथ चुनाव करवाने की स्थिति में है। शर्त एक ही है कि ओबीसी को अगर राजनीतिक आरक्षण देना है तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा।

अगर आप विपक्ष के लोग मांग करते हैं और लिखकर देते हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण दिए निकाय चुनाव करवा लिए जाएं तो हम कल ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे। नगरपालिका संशोधन बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में दो से ज्यादा बच्चों वालों को लाभ नहीं मिलता। अब निकाय और पंचायतीराज चुनावों में आपने दो बच्चों की बाध्यता हटा दी है तो क्या अब केंद्र-राज्य की योजनाओं में भी इस बाध्यता को हटाएंगे? दर्जनों ऐसी योजनाएँ हैं, जहाँ तीसरा बच्चा होने पर लाभ से वंचित कर दिया जाता है। उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

कल पंचायतीराज मंत्री कह रहे थे कि सब जागरूकता आ गई, दो बच्चों की बाध्यता की जरूरत नहीं है। जब यह सब हो गया तो फिर योजनाओं से भी बाध्यता हटाइए। डोटासरा ने कहा कि चुनाव के लिए आप नगरपालिका एक्ट में संशोधन कर दो बच्चों की बाध्यता हटा रहे हो, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे हो? यूडीएच मंत्री ने कई बार चुनाव करवाने की समय सीमा के बयान दे दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओबीसी आयोग से जानबूझकर रिपोर्ट नहीं ले रहे हो। ओबीसी आयोग को पंगु बना दिया। राज्य निर्वाचन आयोग को भी कठपुतली बना दिया। सीएमओ में बुलाकर हाजिरी लेते हैं और बताते हो ऐसा करना है।

■ यूडीएच मंत्री बोले "निकायों में हम 'एक राज्य-एक चुनाव' करवाने की हालत में हैं, सिर्फ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है।"

■ अगर आप विपक्ष मांग लिखकर देता है कि बिना ओबीसी आरक्षण दिए निकाय चुनाव करवा लिए जाएं, तो हम कल ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे : झाबर सिंह खर

■ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सदन में पूछा कि "क्या केंद्र-राज्य की योजनाओं से भी दो बच्चों की बाध्यता हटाएंगे?"

में संशोधन कर दो बच्चों की बाध्यता हटा रहे हो, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे हो? यूडीएच मंत्री ने कई बार चुनाव करवाने की समय सीमा के बयान दे दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओबीसी आयोग से जानबूझकर रिपोर्ट नहीं ले रहे हो। ओबीसी आयोग को पंगु बना दिया। राज्य निर्वाचन आयोग को भी कठपुतली बना दिया। सीएमओ में बुलाकर हाजिरी लेते हैं और बताते हो ऐसा करना है।

'60 दिन में मुकदमा तय नहीं होने के आधार पर स्वतः जमानत का अधिकार नहीं'

न्यायिक अधिकारी तय अवधि में निस्तारण का प्रयास करें : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी आरोपी को भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत जमानत का स्वतः लाभ इस आधार पर नहीं मिल सकता कि गैर जमानती मामले में साक्ष्य दर्ज करने के प्रथम दिन से साठ दिन में प्रकरण तय नहीं हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की

एकलपीठ ने यह आदेश अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को कहा है कि वह ऐसे मामलों को तय अवधि में तय करने का प्रयास करें।

जमानत याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ श्याम नगर थाना पुलिस में साल 2024 में एफआईआर दर्ज हुई थी और वह गत 25 मई से न्यायिक अभिरक्षा में है। याचिका में कहा

गया कि गत 18 अगस्त को निचली अदालत उसके खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। इसके बावजूद किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए गए, जबकि बीएनएसएस की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत यदि गैर जमानती मामले में आरोप तय होने के 60 दिन में सुनवाई पूरी नहीं होती तो आरोपी को जमानत का लाभ दिया जा सकता है।

इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। मई से न्यायिक अभिरक्षा में है। याचिका में कहा

एमएस शेखावत ने कहा कि उसने पीड़ित को ग्राफिट ट्रेडिंग प्लान का लालच देकर उसके करीब 82 लाख रुपए की टागी की है। वहीं उसके खिलाफ अन्य मामले में लंबित है। धारा 480 की उपधारा 6 को अनिवार्य प्रावधान नहीं माना जा सकता और अदालत परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर निर्णय कर सकती है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएमएस अस्पताल जैसे मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर जारी नकली मेडिकल प्रमाण पत्र जारी होने पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर नकली प्रमाण पत्र बनाने और इन्हें जारी करने से रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऐसे चिकित्सा प्रमाण पत्रों को ऑन लाइन पोर्टल के जरिए

जारी करने के संबंध में लंबित फाइल पर 45 दिन में फैसला करें। अदालत ने कहा कि इसके अनुमोदन के लिए विभाग के संबंधित अधिकारियों से परामर्श कर अंतिम रूप दें। वहीं अदालत ने मामले में बनाए एसओपी के ड्राफ्ट की कॉपी भी अदालत में पेश करने को कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शकुंतला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने

अदालत को बताया कि ऐसे प्रमाण पत्रों की जालसाजी और दुरुपयोग को रोकने के लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार कर उसे अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। इस पर अदालत ने इसे अंतिम रूप देने के लिए 45 दिन का समय दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग कलावटिया ने बताया कि प्रकरण एनबीसी के पास स्थित करीब छह बीघा जमीन से जुड़ा हुआ है। जिसके स्वामित्व को लेकर याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश हुए थे। वहीं कानूनी कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता की

स्मारकों- संग्रहालयों में 18 मार्च को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश

जयपुर। राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने अपने अधीन सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए 18 मार्च, निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की है। निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग डॉ. पंकज धीरेन्द्र ने बताया कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में 7 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है एवं लेटर पैड हस्ताक्षर युक्त पत्र के साथ आने वाले शिक्षक संस्थाओं को भी पूरे सप्ताह स्मारकों और संग्रहालयों में निःशुल्क भ्रमण करवाया जाता है।

राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन

मंडियों और पार्कों का तेजी से होगा विकास, भूमि अर्जन प्रक्रिया होगी पारदर्शी और सुव्यवस्थित : मुख्यमंत्री

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में आधारभूत सुविधाएँ सुदृढ़ करने दिशा में राज्य सरकार निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मण्डी विकास से संबंधित भूमि अर्जन की प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति से मण्डी समितियों के प्रांगण में आधारभूत संरचनाएँ सुदृढ़ होने के साथ ही कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। नीति के अंतर्गत भूमि अर्जन की परियोजनाओं से संबंधित भूमि अर्जापत्ति के जिन मामलों में अर्जाई जारी हो चुका है, ऐसे प्रकरणों

में अवाप्त या अवाप्ताधीन कुल भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी।

इसी प्रकार, भूमि अर्जापत्ति के ऐसे मामलों जिनमें अर्जाई जारी नहीं हुआ है, उन प्रकरणों में 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही, आपसी समझौते से भूमि अर्जन पर भू-धारकों द्वारा मण्डी समिति की निःशुल्क नवीन भूमि समर्पित करने पर कुल समर्पित भूमि के बराबर 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इस नीति से भूमि अर्जन कर उपयुक्त स्थानों पर नवीन यादों का निर्माण तेजी से संभव हो सकेगा। साथ ही, भूमि अर्जापत्ति से संबंधित लंबित न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने

राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये से अधिक कार्यों की स्वीकृति के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, अटल (बारा), बारा, रामगंजमण्डी (कोटा), गुलाबपुर (भीलवाड़ा), गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर), सुजानगढ़ (चूरू), दूदू (जयपुर), सरदारशहर (चूरू) एवं सूरजपोल, (अनाज) जयपुर सहित अन्य मण्डियों में याई निर्माण, विद्युत संबंधी एवं सार्वजनिक सड़कों के निर्माण कार्य करवाए जायेंगे। इन कार्यों से व्यापारियों एवं किसानों के लिए मण्डी प्रांगणों में मूलभूत सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

'छात्रावासों में चौकीदार-रसोइयों संवेदक से जाँच बेसिस पर लेते हैं'

जयपुर (कास)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और भोजन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए संवेदक द्वारा जाँच बेसिस पर रसोइयों और चौकीदारों की सेवाएँ ली जाती हैं। मंत्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में दिए गए उत्तर में विभाग के स्वीकृत पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई थी। विभाग के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई अंशकालीन कर्मचारी नियुक्त नहीं है। हालांकि, छात्रावासों में भोजन व्यवस्था को प्रभावित न होने देने के लिए स्थानीय स्तर पर मानदेय अथवा समय-आधारित व्यवस्था के माध्यम से संवेदक द्वारा रसोइयों और चौकीदारों की सेवाएँ ली जाती हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में रसोइयों एवं चौकीदारों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध अंशकालीन रसोइयों या चौकीदार कार्य नहीं कर रहे हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने हैल्पलाइन पर सुनी समस्याएं

लाखेरी के पंकज सुमन की शिकायत पर बूंदी कलेक्टर को मौके पर दिए निस्तारण के निर्देश

जयपुर । राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन (181) आमजन की समस्याओं का अंतिम पड़ाव साबित हो रही है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन



वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया।

■ 10261 प्रकरणों का निस्तारण, औसतन 27 दिनों में हो रहा समस्याओं का समाधान

(181) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उनके विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली तथा परिचायकों से सीधे संवाद कर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के निस्तारण कर कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के परिचायकों से संवाद के दौरान बूंदी जिले के लाखेरी के पंकज सुमन द्वारा बताया गया कि मेन रोड पर लगे पीपल के पेड़ में से गुजर रही बिजली लाइन आमजन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मौके पर ही बूंदी कलेक्टर अक्षय गोदार को फोन

दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल समस्याओं का अंतिम पड़ाव होना चाहिए। इसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित कुल 10957 प्रकरण दर्ज

हुए, जिनमें से 10261 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रकरणों के निस्तारण की औसत अवधि 27 दिन है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों में राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन पर स्वयं उपस्थित रहकर परिचायकों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं।

अमरूदों का बाग व जनपथ क्षेत्र में रैली, मेले व समारोह पर रोक बरकरार

जयपुर (कास)। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी जयपुर में अमरूदों का बाग, अंबेडकर सिकल व जनपथ क्षेत्र में रैली, मेले व बड़े समारोहों के आयोजनों पर रोक बरकरार रखते हुए इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन इलाकों में सार्वजनिक कार्यक्रमों और ट्रेफिक के नियमन से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश फलानल प्रभावी रहेंगे।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह संबंधित क्षेत्र में ट्रेफिक नियंत्रित करने या जरूरी प्रतिबंध के लिए कानूनी प्रावधानों के

तहत आठ सप्ताह में नया वैधानिक आदेश जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश प्रशासक रिटायर जस्टिस सुदर्शन कुमार मिश्रा व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया। इन याचिकाओं में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

प्रशासक व एसएमएस इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में राज्य सरकार ने एक परिपत्र

निकालकर इन जगहों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे और वह मौजूद व्यवस्था को बहाल रखना चाहते हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह पॉल्सिन कंट्रोल बोर्ड व नए कानूनी प्रावधानों के अनुसार वैधानिक आदेश जारी कर सकती है। गौरतलब है कि 5 सितंबर 2018 को अमरूदों का बाग, जनपथ में एक बड़ी सभा के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसोसिएशन के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए रैली, सभा, सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी थी।

'दिलावर-डोटासरा की जोड़ी स्पোর্स साइकोलॉजी में आ सकती है'

जयपुर (विस)। महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी बिल पर बहस का जवाब देते हुए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री ग्रेसन दिलावर पर चुटकी ली।

मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि आजकल एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट लगाते हैं। स्पোর্स साइकोलॉजिस्ट बेहतर परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ी को टिप्स देते हैं। उसे पता होता है कि क्या चीज करनी है, जिससे शानदार प्रदर्शन करे। जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरे क्षेत्र के विधायक को देखकर विधायक में उत्तेजना

■ खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने सदन में दोनों नेताओं पर चुटकी ली

जाती है यह साइकोलॉजी होती है, यह सारी की सारी चीजें जुड़ती हैं, तब जाकर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। जैसे डोटासराजी और मदन दिलावरजी की जो जोड़ी है, वो स्पোর্स साइकोलॉजी में आ सकती है, यह उदाहरण ठीक है न। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी कहा कि दोनों को साथ में खाना खिला दीजिए।